सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 1)

न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी के समक्ष

याचिकाकर्ता - सुनील सचदेवा

बनाम

प्रत्यर्थी - रश्मि और एक अन्य

2017 का सीआरएम-एम नंबर 5732 (ओ एंड एम)

23 दिसंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - समझौता करने के 13 साल बाद पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता के लिए यह नहीं माना जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी - खुद को और अपनी बेटी के भरण-पोषण करने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 2)

के लिए मजबूर किया गया था। भरण-पोषण याचिका उचित - याचिका खारिज कर दी गई।

अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि रश्मि 13 साल के लंबे अंतराल के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती या इस याचिका को दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। रश्मि अपने दो बच्चों के साथ अपने पति द्वारा दिए गए एकमुश्त गुज़ारा भत्ता के आधार पर और साथ ही एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करके गुज़ारा कर रही थी । आखिरकार खुद को और अपनी बेटी की परवरिश और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उसे सुनील सचदेवा से गुज़ारा भत्ता का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उनके द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से उचित है।

(अनुच्छेद 14)

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 3)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील, आयुष गुप्ता ।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता, आर.डी.शर्मा ।

न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी (मौखिक)

(1) सुनील सचदेवा ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश, पठानकोट द्वारा पारित दिनांक 07.12.2016 के फैसले को रद्द करने के लिए दायर की है, जिसके तहत रश्मि/प्रतिवादी को 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से गुज़ारा भत्ता दिया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रश्मि, प्रतिवादी नंबर 1 ने 10.09.1983 को हिंदू संस्कारों के अनुसार याचिकाकर्ता सुनील सचदेवा के साथ शादी की। इस शादी से उनके दो बच्चे थे; बेटा करण का जन्म 20.7.1984 को हुआ और एक बेटी का नाम कनिका है जिसका जन्म 26.04.1987 को हुआ । शादी के बाद, उनके वैवाहिक विवाद के कारण, रश्मि को अंततः जुलाई, 1993 में अपने दो बच्चों के साथ ससुराल से बाहर

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 4)

कर दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील सचदेवा ने अपनी पत्नी रश्मि के खिलाफ तलाक की अर्जी दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया । उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की उसे भी खारिज कर दिया गया। रश्मि ने आरोप लगाया है कि वह आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में कार्यरत थी और उसे प्रति माह 17000 रुपये का वेतन मिल रहा था, लेकिन वह अपना और अपनी बेटी का भरण-पोषण करने में असमर्थ थी। वह किराये के मकान में रह रही थी और बिजली, पानी, परिवहन, रखरखाव और अन्य खर्चों पर भारी राशि खर्च की गई थी। उनकी बेटी कनिका मेडिकल की छात्रा थी और कमा नहीं रही थी। उन्हें अपनी बेटी की फीस, रहने और खाने का खर्च उठाना था। यह खर्च कथित तौर पर लगभग 25,000/- रुपये प्रति माह था। साल 2000 में खुद को भुखमरी से बचाने के लिए उन्हें यह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपने रिश्तेदारों की अनुकम्पा पर जी रहे हैं। उनके पास कोई चल या अचल संपत्ति या आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादी यानी मौजूदा याचिकाकर्ता अच्छी तरह से संपन्न है। वह अच्छी कमाई कर रहा है। वह 'कनिका शॉपिंग सेंटर' के नाम और स्टाइल के तहत रेडीमेड कपड़ों का शॉपिंग सेंटर चला रहे हैं।

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 5)

वह एक होटल 'ज्वेल' चला रहा है और इलाहाबाद बैंक के परिसर के जरिये उसे किराए की आमदन भी हो रही है । इसलिए, वह प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक कमा रहा है। इन तथ्यों के साथ, रश्मि और उनकी बेटी, कनिका ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करके प्रति माह 25,000 रुपये के रखरखाव का दावा किया।

(3) प्रतिवादी अर्थात मौजूदा याचिकाकर्ता सुनील सचदेवा द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था, जिसमें प्रारंभिक आपत्ति जताई गई थी कि रश्मि सचदेवा पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में कार्यरत है और वह ट्यूशन भी ले रही थी और उसकी आय 17,500 /- प्रति माह से कम नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि उनके बीच हुए समझौते के अनुसार, उन्हें प्रतिवादी से पत्नी और दो बच्चों के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के भरण-पोषण के लिए पहले ही 3 लाख रुपये मिल चुके हैं। सुश्री कनिका 24 साल की हैं और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। वह अपनी आजीविका कमा रही है। वह इन वर्षों में अपनी बेटी के लिए स्कूल की फीस का भुगतान करते थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए शुल्क के साथ-साथ

छात्रावास शुल्क भी प्रदान किया। वास्तव में, उन्हें अनावश्यक रूप से मुकद्दमेबाज़ी में घसीटा गया है। उन्होंने अपने बेटे करण सचदेवा का भी पालन-पोषण किया, जिसने अपनी बी.टैक पास की और पिछले 1-1/2 वर्षों से आईएमबी, गुड़गांव में बिक्री इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और प्रति माह 25000 रुपये कमा रहा है। वह प्रतिवादी को कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है। वह आवेदक को अधिशेष धन दे रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि कनिका शॉपिंग सेंटर पर हिंदू अर्बन बैंक, पठानकोट का 25 लाख रुपये का कर्ज़ था और उसने इसे अपने भाई मनोज सचदेवा को बेच दिया है। जहां तक विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलाक की याचिका के निपटान का संबंध है, यह आरोप लगाया गया है कि यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए ये सभी आरोप झूठे हैं। दीवानी और फौजदारी मुकद्दमेबाज़ी ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक यातना दी है। आवेदक अपने ही घर में रह रही है। उसने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। ज्वेल नाम का कोई होटल नहीं है। प्रतिवादी और उसके भाई ने अपनी आजीविका कमाने के लिए घर के कुछ कमरों

को बदल दिया है। किराये से कोई कथित आय नहीं है, क्योंकि परिसर उनके भाई का है और उन्होंने मामला दर्ज करके इसे खाली कराया। वास्तव में, उसकी मासिक आय 6000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता-रश्मि द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

(4) रश्मि और कनिका द्वारा 16/22.3.2007 को दायर आवेदन को दिनांक 05.02.2014, अनुबंध पी-2 के निर्णय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, रश्मि और कनिका ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 5/10.03.2014 दायर किया, जिसे अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश, पठानकोट की अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को दिनांक 20.12.2014 के फैसले के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया गया। प्रथम श्रेणी, पठानकोट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 21.1.2015 के फैसले के तहत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन को फिर से खारिज कर दिया। इस फैसले से व्यथित महसूस करते हुए, रश्मि और कनिका ने फिर से 9.5.2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 12/2015 आपराधिक संशोधन संख्या 22 दायर की,

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 8)

जिसे दिनांक 07.12.20216 के फैसले द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस फैसले के अनुसार, सुनील सचदेवा की बेटी कनिका के दावे को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि सुनील सचदेवा की पत्नी रश्मि को 15000 रुपये प्रति माह की दर से गुज़ारा भत्ता दिया गया।

(5) इस फैसले से पीड़ित महसूस करते हुए, सुनील सचदेवा ने वर्तमान मामला दायर किया है।

(6) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ रश्मि का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दी गई दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों का निर्णय पारित करते समय पठानकोट के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से नहीं सराहा गया था। दिनांक 7.12.2016. अदालत द्वारा

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 9)

दिए गए निष्कर्ष सबूतों और रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों के विपरीत हैं। तर्क दिया जाता है कि वैवाहिक विवाद के कारण रश्मि ने जुलाई 1993 में अपने दो बच्चों के साथ घर छोड़ दिया था। यह मामला दिनांक 7.8.1993 को एक लिखित समझौते के माध्यम से सुलझाया गया था, जिसके तहत सुनील सचदेवा ने रश्मि पत्नी, पुत्र करण और पुत्री कनिका के पक्ष में 1-1 लाख रुपये जमा किए थे, जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के भरण-पोषण के दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में थे। समझौते के सभी नियमों और शर्तों को लिखित में रखा गया था और इस पर पार्टियों और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। याचिकाकर्ता ने समझौते के उक्त नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वर्तमान याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एक बार जब मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझ गया, तो रश्मि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करके उसी मामले को उत्तेजित नहीं कर सकती हैं।

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 10)

(8) पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील ने दूसरे मामले में यह मुद्दा उठाया कि अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते समय मामले की तथ्यात्मक स्थिति की सराहना करने में विफल रहे हैं। वास्तव में, रश्मि एक कामकाजी महिला है। वह आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में शिक्षक के रूप में सेवारत हैं और सम्मानजनक वेतन प्राप्त कर रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने नंद लाल, आरडब्ल्यू -1, अनुबंध पी -6 की जिरह का हवाला दिया, जहां गवाह ने स्वीकार किया कि जून, 2012 में, वह 20553 रुपये का वेतन ले रही थी और अदालत में बयान देने के समय, उसका वेतन 21673 रुपये था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 21.1.2015 को फैसला सुनाते हुए सही निष्कर्ष निकाला कि रश्मि खुद को एक निराश्रित महिला होने का दावा नहीं कर सकती है। वह अपने पति से ज्यादा वेतन कमा रही थी। इसलिए, 22.03.2007 को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनके द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि वह एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं। विवादित निर्णय पारित करते समय सत्र विद्वान अपर न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है।

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 11)

(9) तीसरा, विद्वान वकील ने बताया कि उसने अपने बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज के दौरान शुल्क और अन्य व्यय प्रदान किए। उनका बेटा करण बी.टैक पास कर लिया है। बहस के दौरान यह खुलासा किया गया कि वह सिंगापुर में सेवारत था और अच्छा वेतन कमा रहा था। आगे बताया गया है कि उनकी बेटी कनिका एक योग्य डॉक्टर है। वह भी बेहतर कमा रही है। दोनों बच्चे वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए कोई राशि का योगदान नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि रश्मि अपने बेटे के साथ-साथ बेटी के साथ भी रह रही है । उसने गलत दावा किया है कि उसके पास खुद को बनाए रखने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है। वास्तव में, उसने याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए ही वर्तमान याचिका दायर की है।

(10) अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि रश्मि को 15,000 रुपये प्रति माह का गुज़ारा भत्ता देने वाले अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को सही ठहराने के लिए सुनील सचदेवा की आय को सिद्ध करने के रिकॉर्ड पर आधारित कोई ठोस सबूत नहीं है। यह बताया गया है कि पत्नी रश्मि उनकी

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 12)

वित्तीय स्थिति या इस तथ्य को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही कि वह प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक कमा रहे थे। वह रेडीमेड गारमेंट्स के कनिका शॉपिंग सेंटर के मालिक थे जो ऋण के बोझ तले दबा था और इसी कारण से इसे उनके भाई को बेच दिया गया था। याचिकाकर्ता ने ज्वेल होटल के नाम पर किसी भी होटल के अस्तित्व से इनकार किया और रश्मि द्वारा दावा किए गए किसी भी किराये की आय से इनकार किया है । आरोप है कि किरायेदार का परिसर उसके भाई का था और उसने ही इसे खाली कराया था। वर्तमान याचिका दायर करते समय, याचिकाकर्ता के वकील ने वर्ष 2012-13 के लिए आयकर भुगतान का रिकॉर्ड रखा है जिसमें उसकी वार्षिक आय 173126/- अनुलग्नक पी -9, वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न के रूप में परिलक्षित होती है, जहां उसकी वार्षिक आय 170360 रुपये के रूप में परिलक्षित होती है। इसलिए, उपरोक्त दस्तावेजों से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता सुनील सचदेवा की आय बहुत कम है और वह रश्मि को 15000 रुपये प्रति माह का भुगतान नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश, पठानकोट द्वारा दिनांक 07.12.2016 के विवादित फैसले को पारित करके

दिया गया है। चूंकि रश्मि खुद कमा रही है, इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करके याचिकाकर्ता से किसी भी रखरखाव का दावा नहीं कर सकती है। यह प्रार्थना की जाती है कि 7.12.2016 के आक्षेपित फैसले को मौजूदा याचिका को स्वीकार करके रद्द कर दिया जाए और रश्मि द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील रश्मि ने तर्क दिया कि वह एक बूढ़ी महिला है जो आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में शिक्षक के रूप में काम करके अपने दो बच्चों की देखभाल करती है। उन्होंने अदालत से कोई तथ्य नहीं छिपाया है। उसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी याचिका में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक शिक्षक के रूप में काम कर रही थी और उसकी मासिक आय 17,000 रुपये उसके दो बच्चों और खुद के लिए ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, उसने अपने पति सुनील सचदेवा से गुज़ारा भत्ता का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वर्तमान याचिका दायर की थी। यह तर्क दिया जाता है कि अपने घरेलू मामलों को

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 14)

चलाने के लिए, उसने बी.एड किया और वैवाहिक विवाद के बाद स्कूल में नौकरी कर ली। उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर में, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद जून, 2018 में सेवानिवृत्त होने वाली थीं, क्योंकि उनकी जन्म तिथि 9.6.1960 है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी और न ही उसके पास रहने के लिए घर है। वह किराए के मकान में रह रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा करण शादीशुदा है और सिंगापुर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। उनकी बेटी कनिका एमडी की तैयारी कर रही है। वह कमाई नहीं कर रही है। अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश ने उसे गुज़ारा भत्ता देते हुए मौजूदा मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है। याचिकाकर्ता ने गलत दावा किया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। वास्तव में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को रखरखाव के भुगतान से बचने के लिए अपनी संपत्ति का निपटान करने की कोशिश की। यह तर्क दिया जाता है कि सुनील सचदेवा अपनी पत्नी को गुज़ारा भत्ता प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, अतिरिक्त जिला एवं सत्र के विद्वान

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 15)

न्यायाधीश ने रश्मि के पक्ष में 15,000 रुपये प्रति माह का गुज़ारा भत्ता दिया। यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(12) मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। मैंने रिकॉर्ड देखा है। मामले के तथ्य ज्यादा विवादित नहीं हैं। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सुनील सचदेवा ने 10.09.1983 को रश्मि के साथ शादी की और इस शादी से उनका एक बेटा करण 20.7.1984 को पैदा हुआ और बेटी कनिका, 26.04.1987 को पैदा हुई। पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद शुरु हो गया। नतीजतन, वे जुलाई 1993 से अलग रहने लगे। यह भी विवादित नहीं है कि इस मामले से समझौता किया गया था, जिसके अनुसार, सुनील सचदेवा ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के पक्ष में 1500 रुपये प्रति माह के किराए के साथ 1-1 लाख रुपये जमा किए। दिनांक 7-8-1993 का लिखित समझौता भी अभिलेख में रखा गया है। इसके बाद, रश्मि और उनकी बेटी कनिका ने 22.3.2007 को इस मामले को दायर करके सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता का दावा करते हुए याचिका दायर की, जिसे 5.2.2014 के फैसले के तहत खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षण

में, मामले को दिनांक 20.12.2014 के अनुबंध पी-3 के फैसले के तहत वापिस भेज दिया गया था और मामले को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 21.1.2015 के अनुबंध पी-4 के फैसले के तहत फिर से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, रश्मि और उनकी बेटी कनिका ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे दिनांक 07.12.2016 के फैसले द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, सुनील सचदेवा ने पठानकोट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 7.12.2016 को पारित फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए मौजूदा याचिका दायर की है। यह भी विवादित नहीं है कि आज, उनका बेटा, करण शादीशुदा है। वह बी.टैक पास है और सिंगापुर में सेवारत है। दूसरी तरफ बेटी कनिका भी योग्य डॉक्टर हैं। इसलिए, दोनों बच्चे अच्छे पढ़े-लिखे हैं और वे खुद का भरण-पोषण करने की स्थिति में हैं। इस मामले में, केवल रश्मि को उसके पति सुनील सचदेवा द्वारा भुगतान किए जाने वाले 15000 रुपये प्रति माह की दर से गुज़ारा भत्ता दिया जाए ।

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 17)

(13) विवादित मामला यह है कि क्या रश्मि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती थी, जब समझौता हो गया था और उसे अपने बच्चों के साथ 7.8.1993 के समझौते के तहत एकमुश्त गुज़ारा भत्ता मिला था या नहीं।

(14) इस मामले में, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि दिनांक 7.8.1993 के समझौते के तहत, रश्मि और उसके बच्चों को एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए गए थे और उन्हें किराए के रूप में 1500 रुपये प्रति माह भी दिए गए थे। उन्होंने 13 साल से अधिक के अंतराल के बाद 22.3.2007 को पहली बार सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वर्तमान याचिका दायर की। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि एक महिला और उसके दो बच्चों के लिए 3 लाख रुपये की मामूली राशि में जीवित रहना संभव नहीं था, जो उन्हें सुनील सचदेवा द्वारा उपरोक्त समझौते के अनुसरण में दिया गया था। इसलिए, रश्मि को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वर्तमान याचिका दायर करने में उचित ठहराया गया था, जिसमें अपनी अविवाहित बेटी की देखभाल के साथ-साथ अपने अस्तित्व के लिए गुजारा भत्ता का दावा किया गया था। रश्मि ने ट्रायल कोर्ट

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 18)

के सामने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। उसने स्वीकार किया कि वह आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में शिक्षक के रूप में काम कर रही है और निजी ट्यूशन भी लेती है, इस प्रकार, प्रति माह 17500 रुपये कमाती है। अपने लिखित जवाब में, उसने आगे स्पष्ट किया कि उसने वर्ष 1996 में वैवाहिक विवाद के बाद बीएड किया था और आर्मी पब्लिक स्कूल, पठानकोट में नौकरी की थी। यह एक तथ्य है कि रश्मि अपने दो बच्चों यानी बेटे करण और बेटी कनिका के साथ अकेले ही खुद की देखभाल कर रही थीं। उसे अपने परिवार से कुछ सहायता मिल रही होगी। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 17,000/- रुपये के अल्प वेतन में जीवित रहना और उसके दो बच्चों की जिम्मेदारी उठाना संभव नहीं है जो पेशेवर कॉलेजों में जा रहे थे। उन्हें उनके दैनिक व्यय, भोजन, कपड़े, परिवहन, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा व्यय और अन्य सामाजिक दायित्वों की देखभाल करनी थी। अतः दिनांक 7.8.1983 के समझौते के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रश्मि 13 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर नहीं कर सकी या इस याचिका को दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। रश्मि अपने दो बच्चों के साथ अपने पति द्वारा दिए गए एकमुश्त गुज़ारा

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 19)

भत्ता के आधार पर और साथ ही एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करके जीवन गुज़ार रही थी । आखिरकार स्वयं की और अपनी बेटी की सुरक्षा और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उसे सुनील से गुज़ारा भत्ता का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सचदेवा। इसलिए उनके द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से उचित है।

(15) मामले का अन्य महत्वपूर्ण पहलू रश्मि के साथ-साथ मौजूदा याचिकाकर्ता सुनील सचदेवा की वित्तीय स्थिति है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि रश्मि के पास कोई चल-अचल संपत्ति है। महिला ने अपने द्वारा किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर अपने पूरे जीवन आ गुज़ारा किया और उसे वर्ष 2013 में प्रति माह 21673 रुपये का वेतन मिल रहा था। अपने दो बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर थी। दूसरी ओर, सुनील सचदेवा ने लिखित उत्तर में दावा किया कि उनकी आय 6000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। उन्होंने आय के सभी स्रोतों को रद्द करने की कोशिश की है, जिसका खुलासा रश्मि ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी

याचिका में किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कनिका शोपिंग सेंटर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स के नाम और फैशन के तहत चलाए जा रहे शॉपिंग सेंटर को अपने भाई को बेच दिया है क्योंकि यह 25 लाख रुपये के ऋण के तले था। उन्होंने आगे दावा किया कि वे ज्वेल होटल के नाम और शैली में कोई होटल नहीं चला रहे हैं, बल्कि उन्होंने और उनके भाई ने कमाई का स्रोत बनाने के लिए अपने आवासीय घर के दो कमरों को परिवर्तित किया था और किराये की आय के बारे में, उन्होंने दावा किया कि उक्त परिसर उनके भाई का था और उन्होंने इसे खाली कराया था।

(16) अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनील सचदेवा की आय की सराहना करते हुए इन सभी तथ्यों के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के समक्ष किए गए जिरह पर भी विचार किया है। दोनों पक्षों के बीच जुलाई 1993 से वैवाहिक विवाद चल रहा था। याचिकाकर्ता ने गुज़ारा भत्ता देने की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए यह समझाने की कोशिश की है कि उसने अपना पूरा कारोबार अपने भाई को बेच दिया है। इन परिस्थितियों में, इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न को उसकी

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 21)

आय का आकलन करने के लिए नहीं देखा जा सकता है। बल्कि, उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सुनील सचदेवा एक व्यापारी है जिसकी आय के विभिन्न संसाधन हैं । रश्मि के लिए सुनील सचदेवा की आय साबित करने के लिए कोई सीधा सबूत लाना संभव नहीं था। इन परिस्थितियों में सुनील सचदेवा की आय का आकलन केवल अनुमान के आधार पर ही किया जा सकता था। 22.3.2007 को इस याचिका को दायर करते समय रश्मि एक बेटे की मां थी जो 23 साल का था जबकि उसकी बेटी 20 साल की थी। उस समय, वह अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल कर रही थी। उन्होंने पिछले लगभग 15 वर्षों से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वे अपने दावेदारी के लिए लड़ी और इस अवधि के दौरान वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 2018 में सेवानिवृत्त हुई हैं। इसलिए, वर्तमान में वह लगभग 62 वर्ष की है, पहले से ही अपनी सेवा से सेवानिवृत्त है। उसे जीवित रहने के लिए धन की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान, हर चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ गई है।

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 22)

(17) उपर्युक्त तथ्यों और वर्तमान मामले की आस-पास की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, पठानकोट द्वारा 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से दिया गया गुज़ारा भत्ता पूरी तरह से उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(18) इस टिप्पणी के साथ, याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

डॉ. पायल मेहता

सुनील सचदेवा बनाम रश्मि और एक अन्य

(न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 23)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा